

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

INSURANCE REGULATORY AND

DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(बीमा दलाल) विनियम, 2018 (Insurance Brokers) Regulations, 2018 अनुसूची 1 - फॉर्म एल (विनियम 14 (8) देखें) Schedule 1 - Form L (See Regulation 14 (8))

पंजीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र CERTIFICATE OF RENEWAL OF REGISTRATION

• 0	•			011
पजाकरण	सख्या	Registration No	0.:	261
		0		

- 1. मेसर्स मिहिन्द्र रेड्योरेस क्रीकर्स किमिटेड श्रेणी व्यक्तिमा प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 14 तथा बीमा अधिनयम,
 - 1938 (1938 का 4) के अधीन इसके द्वारा नवीकृत किया जाता है।
- 1. The Certificate of Registration of M/s Mahindra Insurance Broker's Category Composite.

 Broker is hereby renewed under Regulation 14 of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 and the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).
- 2. Issued at Hyderabad on 17th day of May Two Thousand Twenty Two
- 3. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र $1.8 \cdot 0.5 \cdot 2.022 \cdot \dot{t} \cdot 1.7 \cdot 0.5 \cdot 2.02.5 \cdot .$ तक विधिमान्य होगा।
- 3. This Certificate of Registration shall be valid from 8.05.2022 17.05. 2025
- 4. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र इस शर्त के अधिन जारी किया जाता है कि आवेदक बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्रधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के सभी उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों का पालन करेगा।
- 4. This Certificate of Registration is issued subject to the condition that the applicant shall comply with all the provisions of the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) the Rules or regulations made thereunder and the Guidelines, Circulars & Directions issued by the Authority from time to time.

स्थान Place: हिन्दानाद | Hyderabad

दिनांक Date: 17.05.2022

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से

For Insurance Regulatory and Development Authority of India

आदेशानुसार By Order